

अंचल अधिकारी का कार्यालय, राजनगर

आदेश फलक

विविध वाद संख्य 07./2024-2.5

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित														
14/08/2024	अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदक-<u>बिपरी देवी</u>....., पति/पित्त-<u>रविंद्र सिंह</u>..... निवासी ग्राम-<u>देवराजपुरा</u>..... के द्वारा मौजा-<u>देवराजपुरा</u>....., थाना-<u>3.96</u> खाता सं0-<u>02</u>....., प्लॉट सं0-<u>402</u>....., रकबा-<u>0.05</u>....., नाम-<u>बिपरी देवी</u>..... पति/पित्त-<u>रविंद्र सिंह</u>..... का जमाबंदी/सुधार हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन पर संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक को निदेश दिया जाता है कि 15 दिनों के अन्दर प्राप्त आवेदन पर राजस्व अभिलेख से जाँच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। अभिलेख दिनांक-<u>13/08/2024</u> ... को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, राजनगर।															
23/08/2024	अभिलेख उपस्थापित किया गया। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार भूमि कि विवरणी निम्न प्रकार है :- <table border="1"><thead><tr><th>खाता सं0</th><th>खेसरा सं0</th><th>रकबा</th><th>जमाबंदी के अंकित व्यक्ति का नाम एवं पता</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3">02</td><td>402</td><td>0.054</td><td>बिपरी देवी</td></tr><tr><td></td><td></td><td>जाट्टे-सुरेन्द्र लोदी</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आलोक में उक्त भूमि विवरणी को ऑनलाईन पंजी-॥ में सुधार/दर्ज करने हेतु राजस्व उप निरीक्षक को आदेश दिया जाता है। ऑनलाईन पंजी- ॥ के VOLUME No....<u>2</u>....., पृष्ठ सं0.....<u>65</u>..... में जमाबन्दी दर्ज/सुधार किया गया।  अंचल अधिकारी, राजनगर।	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा	जमाबंदी के अंकित व्यक्ति का नाम एवं पता	02	402	0.054	बिपरी देवी			जाट्टे-सुरेन्द्र लोदी				
खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा	जमाबंदी के अंकित व्यक्ति का नाम एवं पता													
02	402	0.054	बिपरी देवी													
			जाट्टे-सुरेन्द्र लोदी													